

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

किशनलाल बनावली

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 183/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>किशनलाल शिव उदयराम ऊहीर</u> श्री <u>चंटीबाई पत्नी स्व-उदयराम ऊहीर</u> निवासी- <u>गोपालपुरा, नोरेला</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>गोपालपुरा (प.ह. नोरेला)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 123, 127, 128, 154 कीता 4 रकबा 1.7300, 452 रकबा 0.9100 <u>ग्राम-चतरपुरा (प.ह. नोरेला)</u> की आ.नं. 285, 286, 295 कुल कीता <u>3</u> कुल रकबा <u>1.0000</u> हे० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गोपालपुरा (प.ह. नोरेला)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>123, 127, 128, 154 कीता 4 कुल रकबा 1.7300</u> <u>452 रकबा 0.9100 हे०</u> <u>ग्राम-चतरपुरा (प.ह. नोरेला)</u> की आ.नं. 285, 286, 295 कुल कीता <u>3</u> रकबा <u>1.0000</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000=00</u> रुपये अक्षरे <u>दा. 5/11/2023</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>